

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 770/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा-राजपार्क, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स यू एन बी इण्डस्ट्री,
पता :-एफ-32, अलंकार प्लाजा, विद्याधर नगर, जयपुर।
एवं खसरा नं. 1264/226, हरसोली, किशनगढ़ रेनवाल रोड़, चौमूं रोड़, जयपुर।
2. श्रीमती उषा सैनी पत्नी श्री बलराम सैनी(पार्टनर),
पता :- प्लॉट नं. 3, शिव कॉलोनी, मुरलीपुरा, जयपुर।
3. श्रीमती नीलम सैनी पत्नी श्री हीरा लाल सैनी,
पता :- प्लॉट नं. 11, राधा कृष्णा नगर, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर।
4. श्री बलराम सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी,
पता :-एफ-32, अलंकार प्लाजा, विद्याधर नगर, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 3, शिव कॉलोनी, मुरलीपुरा, जयपुर।
5. श्री राकेश सैनी पुत्र श्री गुलाब चंद सैनी,
पता :- प्लॉट नं. 96, राधा कृष्णा नगर, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित

1. श्री दिपेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.01.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 20.03.2018 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. श्री बलराम सैनी के स्वामित्व की औद्योगिक संपत्ति खसरा संख्या 1264/226, बालाजी सिटी के सामने, ग्राम हरसोली, किशनगढ़ रेनवाल रोड़, चौमूं, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 3414.58 वर्गमीटर एवं 2. श्रीमती नीलम सैनी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 11, राधा कृष्णा नगर, मान्यावास, न्यू सांगानेर रोड़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 209.01 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 02,25,85,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

३०
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **02,25,85,000/-** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **02,21,58,152.82/-** रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **08.05.2021** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी 1. श्री बलराम सैनी के स्वामित्व की बंधक औद्योगिक संपत्ति खसरा संख्या 1264/226, बालाजी सिटी के सामने, ग्राम हरसौली, किशनगढ़ रेनवाल रोड़, चौमूं, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 3414.58 वर्गमीटर एवं 2. श्रीमती नीलम सैनी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 11, राधा कृष्णा नगर, मान्यावास, न्यू सांगानेर रोड़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 209.01 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द रखें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
आदेश आज दिनांक **10.01.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।




 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर